मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्टाफ

बचत एवं साख स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०

की

उप-विधियाँ

निबन्धन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्टाफ बचत एवं साख स्वा० सह० समिति लि० की उपविधियाँ बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम 1996 (बिहार अधिनियम 2/1997 के धारा 5 के अधीन मेरे कार्यालय में विधिवत निबंधित की गई है।

समिति का निबंधन संख्या :-

| BR | 06 | 01 | 01 | CTH | 01 | 2002 |

दिनांक ....

14.2.2002

District Co operative Officer, DARBHANGA

14/2/2002

कार्यालय, जिला सहकारिता पदाधिकारी (दरभंगा)

प्रकाशक :

सहयोगी प्रकाशन

सहयोगी मार्ग

एक्जीविशन रोड, पटना - 800 001

फोन - 230118

मुदक :

बिहार सहयोगी सिक्यूरिटी प्रेस

सहयोगी मार्ग

एक्जीविशन रोड, पटना 800 001

फोन नं : 225574

प्रकाशक :
सहयोगी प्रकाशन
एक्जीविशन रोड, पटना-800 001
दूरभाष - 230118

© सहयोगी प्रकाशन

● स्वावलम्बी सहकारी समिति की उप-विधियाँ

संकलनकर्त्ता —चिरंजीव रंजन
अधिवक्ता
एवं
— राजीव रंजन
एल एल० बी०

This book has been published with best care and is being sold with the understanding that neither the Author, Publisher, Printer nor Book seller would be responsible for any errors or action taken on such error which might have crept inadvertently.

मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्टाफ

बचत एवं साख स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०
की उप-विधियाँ

1. **नाम** — यह समिति, जो बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम,1996 (बिहार अधिनियम 2, 1997) के अधीन निबंधित है, मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्टाफ बचत एवं साख स्वावलम्बी सहकारी समिति लि० कहलायेगी और इसमें आगे "समिति" के नाम से जानी जायेगी।

पता — समिति का निबंधित कार्यालय ग्राम/मौह० लक्ष्मी सागर
डाकघर लक्ष्मीसागर थाना सदर दरभंगा थाना नं० 458/509
प्रखण्ड दरभंगा अनुमण्डल दरभंगा
जिला दरभंगा में होगा।

निबंधित कार्यालय के पता में कोई परिवर्त्तन होने की दशा में ऐसे परिवर्त्तन के 15 दिनों के भीतर इसकी सूचना निबंधक, स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ; बिहार, बिहार को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड तथा वित्त पोषक बैंक/एजेन्सी/संस्था को भेज दी जाएगी।

2. **कार्यक्षेत्र** — इस समिति का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिला दरभंगा अंतर्गत में सीमित होगा।

3. **सदस्यता** — प्रवर्त्तक सदस्य 26 है। एवं इस समिति में (छब्बीस)
अधिक से अधिक 1000 (एक हजार) सदस्य होंगे।

4. **उद्देश्य** — समिति के सदस्यों की सामान्य केन्द्रीयभूत आवश्यकता बचत की प्रवृति एवं जीवन से संबंधित अन्य आवश्यकताओं का समाधान करना है ताकि उनका आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक एवं नैतिक विकास हो सके। एतदर्थ सदस्यों में मितव्ययिता (कम खर्च), आत्म-निर्भरता (अपनी मदद आप), सहयोग, पारस्परिक सहायता की भावना जागृत करना और इनके बचत की प्रवृति एवं जीवन से संबंधित अन्य आवश्यकताओं के समाधान हेतु व्यवस्था करना समिति का मूलभूत उद्देश्य होगा। इस प्रयोजन के लिए समिति निम्नलिखित कुल या किसी कार्य को करेगी :—

(1) सदस्यों में मितव्ययिता, अपने मदद आप करने और एक दूसरे की मदद करने की भावना को प्रोत्साहन देगी तथा इसके लिए आवश्यक योजनाएँ बनायेगी और उन्हें कार्यान्वित करेगी।
(2) सदस्यों के बीच थ्रीफ्ट जमा द्वारा बचत की प्रवृति का प्रोत्साहन हेतु व्यवस्था करेगी।
(3) संग्रहित निधि को सदस्यों के बीच उनकी आवश्यकतानुसार ऋण के रूप में वितरित करेगी।
(4) सदस्यों के जीवन बीमा एवं दुर्घटना बीमा करवाने की व्यवस्था करेगी।
(5) सदस्यों की आक्समिक आवश्यकता (यथा चिकित्सा खर्च आदि) की व्यवस्था करेगी।
(6) सदस्यों के तथा उनके परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा के प्रबंध में सहायता करेगी।
(7) सदस्यों के लिए आवास एवं उनके मनोरंजन की व्यवस्था करेगी।
(8) सदस्यों के आश्रित बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करेगी।

(9) सदस्यों को उपभोग्य वस्तुओं, अन्य घरेलू जरूरत की चीजों तथा जीवन से संबंधित आवश्यक सामानों को उपलब्ध करायेगी ।

(10) सदस्यों के हित को प्रभावित करनेवाली समस्त समस्याओं को सहकारी रीति द्वारा निबटाना तथा लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए प्रयत्न करेगी ।

( ) .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

( ) उपरोक्त वर्णित सदस्यों की आवश्यकताओं एवं समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदस्यों एवं गैर सदस्यों (व्यक्ति, अन्य सहकारी संस्थाओं, सहकारी बैंक, व्यवसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं और राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार तथा उनके नियंत्रण के विभागों आदि) से रूपया जमा, दान, अनुदान, सहायता, ऋण लेकर या उप-विधियाँ में बताये गये दूसरे जरिये से निधि इकट्ठा करेगी ।

( ) ऐसे सभी कार्य करेगी जिनसे सदस्यों की केन्द्रीयभूत आवश्यकताओं एवं समिति के उद्देश्यों की पूर्त्ति में सहायता मिले ।

5. **सहकारिता के सिद्धांत** — बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा 3 में यथा वर्णित निम्नलिखित सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर समिति कार्य करेगी —

(क) समिति की सदस्यता स्वैच्छिक होगी और वैसे सभी व्यक्तियों को बिना किसी सामाजिक, राजनीतिक, जातीय या धार्मिक भेद-भाव के उपलब्ध होगी, जो इसकी सेवा का उपयोग कर सकते हों और सदस्यता की जिम्मेदारी स्वीकार करने को इच्छुक हों ।

(ख) समिति लोकतांत्रिक संगठन है; इसके कार्यकलाप का प्रबंधन इसके सदस्यों द्वारा तय की गई रीति से निर्वाचित या नियुक्त एवं उनके प्रति उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा । समिति के सदस्य समान मताधिकार (एक सदस्य एक मत) का उपयोग करेंगे और समिति पर प्रभाव डालने वाले निर्णयों में उनकी समान भागीदारी होगी ।

(ग) समिति के संचालन से प्राप्त आर्थिक लाभ समिति के सदस्यों का होगा और उसका वितरण ऐसी रीति से, जिससे कि दूसरे सदस्यों की कीमत पर किसी एक सदस्य द्वारा लाभ उठाना परिवर्जित हो सके, किया जाएगा, जिसे —

(i) सहकारी समिति के कारबार के विकास करने का उपबन्ध करके ;

(ii) सामूहिक सेवाओं का उपबन्ध करके;

(iii) अंशधारियों को लाभांश वितरण के अतिरिक्त, सदस्यों के बीच समिति के साथ उनके संव्यवहारों के अनुपात में वितरण करके प्राप्त किया जाएगा ।

(घ) समिति सहकारिता के आर्थिक एवं लोकतांत्रिक सिद्धान्तों एवं तकनीकों में अपने सदस्यों, पदधारियों और कर्मचारियों तथा जन-सामान्य को शिक्षित करने का उपबंध करेंगी ।

(ङ) समिति अपने सदस्यों एवं अपने समुदायों के हितों की सर्वोत्तम सेवा करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य सहकारिताओं के साथ हरेक व्यावहारिक रीति से सक्रिय रूप से सहयोग करेंगी, जिससे कि विश्व भर में सहकारियों द्वारा कार्य की एकता संबंधी उनके लक्ष्य की उपलब्धि हो सके ।

6. **सदस्यों को प्रदान की जानेवाली सेवाएँ** — सहकारिता के उपर्युक्त सिद्धान्तों तथा अपने उद्देश्यों के अनुसार समिति अपने सदस्यों को निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करेगी –

(1) थ्रीफ्ट जमा द्वारा बचत की प्रवृति के प्रोत्साहन हेतु व्यवस्था करेगी ।
(2) सदस्यों के लिए आवास एवं उनके मनोरंजन की व्यवस्था करेगी ।
(3) सदस्यों को ऋण देगी या दिलाने की व्यवस्था करेगी ।
(4) दुर्घटना बीमा एवं जीवन बीमा करवाने की व्यवस्था करेगी ।
(5) सदस्यों की आक्समिक आवश्यकता की व्यवस्था करेगी ।
(6) सदस्यों के तथा उनके परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु व्यवस्था करेगी या करायेगी ।
(7) सदस्यों के आश्रित बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करेगी या करायेगी ।
(8) उपभोग्य वस्तुओं, अन्य घरेलू जरूरत की चीजों तथा जीवन से संबंधित आवश्यक सामानों आदि को उचित मूल्य पर उपलब्ध करायेगी ।
(9) शिक्षण एवं प्रशिक्षण देगी या दिलाने की व्यवस्था करेगी ।
( ) .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

( ) सामान्य निकाय द्वारा प्रत्यायोजित अन्य ऐसे सेवाएँ प्रदान करेगी जो इन उप-विधियाँ में अंकित न हों ।

7. **सदस्यता प्राप्त करने की पात्रता** — प्रत्येक व्यक्ति (पुरुष/महिला/पुरुष एवं महिला) जो विभिन्न परिवार के हों समिति के सदस्य होगें । निम्नलिखित व्यक्ति समिति के सदस्य होंगे –

(1) जो मिथिला क्षेत्रीय ग्रामिण बैंकके कर्मचारि हों।

(2) जो सच्चरित्र हो और सदस्यता के कर्त्तव्यों का पालन करने हेतु तत्पर हो,
(3) जो समिति का कम से कम एक हिस्सा या अधिक हिस्सा खरीदता हो,
(4) जो समिति के कार्य क्षेत्र के अन्दर बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 के अधीन निबंधित समान सेवा देने वाली प्राथमिक सहकारी समिति का सदस्य न हो या ऐसी समिति की देयता का पूरा भुगतान कर उस समिति के सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया हो,
(5) जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो,
(6) जो बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा 5 एवं 23 की शर्तों को पूरा करते हों ।

8. **कोई व्यक्ति समिति का सदस्य होने योग्य नहीं होगा, यदि —**

(1) वह अठारह वर्ष से कम उम्र का हो,
(2) वह समिति का अथवा सम्बद्ध करने वाली समिति का वेतन भोगी कर्मचारी हो,
(3) वह पागल हो,
(4) जो मिथिला क्षेत्रीय ग्रामिण बैंकके कर्मचारि नहीं हों।
(5) वह समिति का हिस्सा खरीद नहीं किया हो,

(6) उसने दिवालिया या शोधनाक्षम (इन्सौलवेन्ट) न्याय निर्णीत होने के लिये आवेदन किया है या वह अप्रमाणित दिवालिया है या अनुमुक्त शोधनाक्षम (इन्सौलवेन्ट) है,

(7) उसे राजनीतिक अपराध को छोड़कर कोई दूसरे अपराध के लिए सजा हुई हो अथवा ऐसे अपराध के लिए सजा हुई हो जो नैतिक आचरण को अर्न्तग्रस्त करती हो और वह सजा रद्द नहीं की गई हो या ऐसा अपराध क्षमा नहीं कर दिया गया हो। यह अयोग्यता सजा की समाप्ति से 5 वर्ष के बाद लागू नहीं होगी।

(8) वह बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 या बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के अधीन रजिस्टर्ड वैसी ही या समान सेवा प्रदान करने वाली किसी अन्य समिति का सदस्य हो।

(9) किसी अन्य रजिस्टर्ड सहकारी समिति का कर्जदार हो।

9. **सदस्यता प्राप्त करने की प्रक्रीया —**

(1) उप-विधि 7 के अनुसार पात्र कोई भी व्यक्ति जो समिति के निबंधन के लिए प्रवर्त्तकों में शामिल हो जिसने 25/- (पच्चीस) रु० प्रवेश शुल्क दिया हो और जिसने खण्ड (2) के अनुरूप समिति के शेयर खरीदे हों, समिति का सदस्य होगा।

(2) समिति के सदस्यों द्वारा निम्नलिखित प्रकार से समिति में शेयर पूँजी के रूप में निवेश किया जाएगा —

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(3) खंड (1) के अलावे, उप-विधि 7 के अनुसार पात्र कोई भी व्यक्ति इन उप-विधियाँ के अनुसार निम्नांकित शर्त्तों एवं प्रक्रिया के अधीन सदस्य बनाये जा सकेगें —

(क) आवेदक को, जिसे समिति की सेवा की आवश्यकता हो तथा सदस्यता की जिम्मेदारी स्वीकार करता हो तथा समिति के कोई सदस्य उसकी पहचान करते हों।

(ख) सदस्यता एवं हिस्से के आवंटन के लिए आवेदन पत्र समिति के मुख्य कार्यपालक को रु० 25/- (पच्चीस रुपये) के प्रवेश शुल्क के साथ, निदेशक बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिया जाना अनिवार्य होगा।

(ग) समिति बिना प्रयाप्त कारण के ऐसे किसी व्यक्ति, जो उप-विधियाँ के अधीन सदस्यता का पात्र हो, को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगी। जहाँ इस तरह प्रवेश देना इन्कार किया जाए वहाँ तत्संबंधी कारणों सहित इस आशय के निर्णय की संसूचना ऐसे आवेदक को निर्णय की तारीख से पन्द्रह दिनों के अन्दर अथवा सदस्यता आवेदन की तारीख से तीस दिनों के अन्दर, जो भी पहले हो, दी जाएगी :

परन्तु यह कि यदि उपर्युक्त निर्धारित अवधि के भीतर उक्त निर्णय संसूचित नहीं किया जाता है तो वह व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया समझा जायेगा।

(घ) निदेशक बोर्ड द्वारा सदस्यता में शामिल करना स्वीकृत करने के बाद तत्संबंधी संसूचना की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर आवेदक को खंड (2) के अनुसार शेयर का मूल्य जमा कर देना होगा।

(ङ) जहाँ किसी व्यक्ति को सदस्यता देने से निदेशक बोर्ड द्वारा इंकार कर दिया जाता हो वहाँ निदेशक बोर्ड के निर्णय के संसूचन के तीस दिनों के अन्दर समिति की सामान्य निकाय में अपील की जा सकेगी।

(च) सामान्य निकाय के निर्णय से व्यथित कोई आवेदक सामान्य निकाय के ऐसे निर्णय के संसूचन के साठ दिनों के अन्दर सहकारी अधिकरण के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन दाखिल कर सकेगा।

(4) सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया कोई भी व्यक्ति सदस्यता के अधिकारों का प्रयोग उप-विधियाँ में वर्णित शर्तों को पूरा करने पर ही कर सकेगा :

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति कम से कम एक वर्ष तक सदस्य बने रहने के बाद ही मताधिकार का प्रयोग करने का पात्र होगा :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक समिति के निबंधन के प्रथम वर्ष में प्रवर्त्तक सदस्य पर लागू नहीं होगा ।

10. **सदस्य के रूप में बने रहने की शर्तें –**

(1) मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से सेवा निवृत होने के पश्चात भी सदस्य भी बने रहेंगे ।

(2) सदस्यता की पात्रता बनायी रखनी होगी ।

(3) अधिनियम एवं समिति की उप-विधियाँ में उल्लेखित शर्तों एवं नियमों का पालन करना होगा,

(4) कोई गलत आचरण, कार्य एवं कार्यवाही नहीं करना होगा जिससे समिति की बदनामी हो और आर्थिक अवस्था पर प्रभाव पड़े,

(5) सदस्यता की जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी,

(6) निदेशक बोर्ड द्वारा सौंपा गया कार्य पूरा करना पड़ेगा,

(7) उप-विधि 15 द्वारा निर्धारित न्यूनतम वार्षिक कार्य सम्पन्न करना होगा ।

11. (1) अधिनियम तथा इन उप-विधियाँ के प्रावधानों के अधीन समिति की सेवाएँ गैर-सदस्यों को भी निदेशक बोर्ड या सामान्य निकाय द्वारा निर्धारित अवधि तक उपलब्ध हो सकेगी ।

(2) समिति अन्य सहकारी समितियों के बकायेदारों को समिति की सेवाओं से वंचित करने के लिए नीति निर्धारित कर सकेगी ।

12. **सदस्यता वापसी/अन्तरण की प्रक्रिया —**

(1) कोई भी सदस्य निदेशक बोर्ड के समक्ष सदस्यता से त्याग पत्र प्रस्तुत कर सकता है । त्याग पत्र निदेशक बोर्ड की स्वीकृति के बाद संसूचन की तिथि से प्रभावी होगा :

परन्तु कोई भी सदस्य, यदि वह–

(क) समिति का ऋणी हो,

(ख) किसी ऐसे सदस्य का प्रतिभू हो जिसने समिति से ऋण लिया हो,

–सदस्यता से त्याग पत्र देने का हकदार नहीं होगा । यदि ऐसा सदस्य त्यागपत्र देता है तो वह अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

(2) कोई भी सदस्य एक वर्ष तक समिति का सदस्य रहने के बाद अपनी सदस्यता किसी ऐसे सदस्य को अंतरित कर सकेगा, जो सदस्यता के लिए इन उप-विधियाँ के अनुसार पात्र हो किन्तु ऐसा अन्तरण तब तक सम्पन्न हुआ नहीं समझ जायेगा, जब तक कि–

(क) सदस्य अपने शेयर या शेयरों को अंतरित न कर दे,

(ख) निदेशक बोर्ड का अनुमोदन नहीं प्राप्त हो जाय,

(ग) **अंतरिती सदस्य का नाम सदस्यता/शेयर पूँजी बही में अन्तरण करने** वाले सदस्य के नाम के स्थान पर नहीं दर्ज कर लिया जाए ।

13. **सदस्यता के पर्यवसित और अस्तित्वहीन होने की प्रक्रिया —**

(1) निदेशक बोर्ड, खुली जाँच एवं सुनवाई के बाद, नीचे लिखे कारणों से किसी सदस्य को जुर्माना कर सकती है या मुअत्तल कर सकती है या समिति की सेवा बंद कर सकती है या उसे सदस्यता से निकाल सकती है –

(क) जो समिति के उपविधियों का पालन नहीं करेंगी तथा समिति के विरुद्ध कार्य करेगा ।

(ख) सदस्यता की पात्रता खो दिया हो,

(ग) समिति की उप-विधियाँ, सन्नियमों और शर्त्तों का घोर उल्लंघन किया हो,

(घ) कोई ऐसा काम किया हो जो निदेशक बोर्ड के विचार में अनुचित हो या समिति की आर्थिक स्थिति को कमजोर बनाने वाला हो या समिति को बदनाम करनेवाला हो ।

(ङ) समिति या अन्य सहकारी समिति/परिसंघ/संघ का वेतन भोगी कर्मचारी हो गया हो ।

ऐसे सभी मामलों के आदेश सामान्य निकाय की अगली सभा में रखे जाऐंगे और सामान्य निकाय का आदेश अंतिम होगा । मुअत्तली की अवधि में किसी सदस्य को सदस्यता के अधिकार के प्रयोग से वंचित रहना होगा और न ही उसे कोई लाभांस या समिति का सेवा प्रदान किया जाएगा । जुर्माना, मुअत्तली तथा निष्कासन संबंधी सामान्य निकाय की संपुष्टि की संसूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर ऐसा सदस्य अधिकरण के समक्ष अपील कर सकेगा ।

(2) **नीचे लिखे कारणों से किसी सदस्य की सदस्यता अस्तित्वहीन हो जाएगी –**

(क) सदस्यता से निकाल दिये जाने पर,

(ख) दिवालिया हो जाने से,

(ग) पागल हो जाने से,

(घ) सदस्यता से त्याग-पत्र निदेशक बोर्ड द्वारा स्वीकृत हो गया हो,

(ङ) समिति के विरुद्ध कार्य किया हो

(च) मर जाने पर,

(छ) कोई सदस्य उस हालत में सदस्य नहीं रहेगा जब वह इन उप-विधियाँ के अनुसार अपनी कुल हिस्सा पूँजी हस्तांतरित कर देगें अथवा वापस कर देंगे ।

(3) सदस्यता की समाप्ति पर समिति की हिस्सा पूँजी की रकम पावना काटकर छह महीने के अन्दर वापस कर दी जाएगी पर सदस्य सदस्यता से हटने या हटाये जाने के दो वर्ष तक समिति के दायित्व के लिए उत्तरदायी होंगे ।

14. **सदस्यों के अधिकार –**

(1) समिति के आवेदक सदस्य आवेदन देने के साथ सदस्य बनाने हेतु अभियान चलावेंगे और 1,000 (एक हजार) सदस्य बनने या एक माह में, जो भी पहले हो, सदस्यों की प्रारम्भिक आम सभा बुलाकर निदेशक बोर्ड का चयन कर उन सदस्यों एवं निदेशक बोर्ड की सूची निबंधन पदाधिकारी को समर्पित करेंगे, जो अधिनियम की धारा-5 (3) (ग) के तहत आवेदन का हिस्सा मानी जाएगी ।

(2) अधिनियम एवं उप-विधियाँ में निहित प्रावधानों तथा निदेशक बोर्ड द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों के अधीन, समिति का कम से कम एक वर्ष तक सदस्य रहने के बाद किसी व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त होगा । परन्तु, प्रवर्त्तक सदस्यों को प्रारंभ से ही मताधिकार प्राप्त रहेगा ।

(3) हरेक सदस्य को उसके द्वारा खरीदे गये हिस्सा के मूल्य के अनुपात में समिति के शुद्ध लाभ में से उप-विधियाँ के अनुसार, लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

(4) हरेक सदस्य को समिति का मोहर लगा अंश प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार होगा । यदि यह प्रमाण पत्र खो जाए, फट जाए या पुराना हो जाए तो 15/- (पन्द्रह रूपये) देने पर नवीकरण हो सकेगा ।

(5) समिति की उप-विधियाँ, बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम 1996, निदेशक बोर्ड की कार्यवहियों एवं सामान्य निकाय की कार्यवाहियों की एक-एक प्रति कार्यालय अवधि में प्रत्येक कार्य-दिवस को समिति के कार्यालय में सदस्यों को देखने के लिए उपलब्ध रहेगी और किसी सदस्य द्वारा देखने की मांग करने पर तुरंत उपलब्ध करायी जाएगी ।

(6) उप-विधियाँ के प्रावधानों एवं निदेशक बोर्ड/सामान्य निकाय द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्त्तों के अन्तर्गत उप-विधि 6 के अनुसार समिति द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं को प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक सदस्य को होगा ।

15. **सदस्यों के लिए अपेक्षित न्यूनतम वार्षिक कार्य —**

सेवाओं के उपयोग, वित्तीय प्रतिबद्धता तथा बैठकों में भागीदारी के आलोक में मताधिकार सहित सदस्यता के अधिकारों का प्रयोग करने हेतु हरेक सदस्य को सामान्य निकाय द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यों का सम्पादन करना होगा ।

16. **किसी सदस्य के जिम्मे बकाया राशि के भुगतान में व्यतिक्रम के परिणाम –**

(1) निर्धारित अवधि के अन्दर, आवंटित हिस्सा या हिस्सों की रकम चुकता नहीं करने पर समिति का सदस्य समिति की सेवाओं का उपयोग करने, वित्तीय प्रतिबद्धता का लाभ उठाने एवं सभाओं में भागीदारी सहित मताधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा ।

(2) किसी सदस्य के जिम्में समिति का ऋण या कोई अन्य बकाया रकम के भुगतान में व्यतिक्रम (default) होने पर वह सदस्य निदेशक बोर्ड के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार बनने एवं किसी उपसमिति का सदस्य बनने के योग्य नहीं रहेगा ।

(3) ऋण किस्तों के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर या किस्तों के अनियमित भुगतान की स्थिति में 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दंड सूद देना होगा । दंड सूद में तबदीली करने का अधिकार सामान्य निकाय को होगा ।

(4) ऋण किस्तों के तीन माह से अधिक व्यतिक्रम होने पर ऋण के जमानतदार (granter) से ऋण की अधिशेष रकम (सूद सहित) वसूली जाएगी या ऋणी के बंधक जायदाद को बेचकर (जप्त कर) वसूल की जाएगी ।

17. **समिति की पूंजी उसकी प्रकृति एवं रकम —**

(1) समिति की प्राधिकृत हिस्सा पूँजी (शेयर कैपिटल) रू० 5,00,000=00 (मो॰ पांच लाख रु॰) की होगी जो 100=00 (एक सौ मात्र) रूपये प्रति शेयर के हिसाब से 5,000 (पांच हजार) शेयरों में विभक्त होगी ।

(2) प्राधिकृत हिस्सा पूँजी, शेयरों की संख्या एवं एक शेयर के मूल्य में वृद्धि या कमी सामान्य निकाय के संकल्प द्वारा की जाएगी । परन्तु ऐसा संकल्प उप-विधियाँ का संशोधन होगा, इसलिए इसे लागू करने के पूर्व उप-विधियाँ में संशोधन कर निबंधन कराना आवश्यक होगा ।

(3) हिस्सा आवंटन के लिए लिखित रूप में आवेदन निदेशक बोर्ड को किया जाएगा जिसका निबटारा बोर्ड करेगी । निदेशक बोर्ड द्वारा स्वीकृति की संसूचन के तीस दिनों के अन्दर हिस्सा रकम एक मुस्त देना होगा । विशेष परिस्थिति में निदेशक बोर्ड तीन किस्तों (प्रत्येक एक महीने का अंतराल) का निर्धारित कर सकती है । किन्तु, जबतक आवंटित हिस्सा की रकम की पूर्ण अदायगी नहीं हो जाय, कोई भी सदस्य सदस्यता के अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा । हिस्सों के किस्तों के समय में चूक होने पर 12 प्रतिशत वार्षिक सूद जोड़कर देना होगा । यदि हिस्से की रकम तीन महीनों में अदा नहीं की जाती है तो हिस्सा और उसके मद में किया गया सभी भुगतान जब्त कर लिया जाएगा और इसकी घोषणा निदेशक बोर्ड कर देगी और उन हिस्सों से सम्बद्ध सदस्यता के सभी अधिकार समाप्त हो जाएगा । यदि जब्ती की तारीख से तीन महीने के भीतर सूद सहित सभी बाकी रकम भुगतान कर दिया जाए और प्रति हिस्सा 10/- रूपये की दर से नवीकरण शुल्क दिया जाए तो निदेशक बोर्ड हिस्सों का नवीकरण कर देगा ।

18. **किसी एक सदस्य द्वारा अभिदाय की जा सकनेवाली अधिकतम पूंजी —**

कोई भी सदस्य व्यक्तिगत रूप से कुल समादत्त हिस्सा पूंजी के 1/10 वें भाग से अधिक हिस्सा धारण नहीं करेगा ।

19. **समिति द्वारा संविदित ऋणों/अन्य बकायों के संबंध में सदस्यों के दायित्व की प्रकृति और मात्रा –**

(1) समिति के कर्जों और अन्य बकायों के लिए सदस्य की जिम्मेदारी उसके अपने हिस्सों की नाम नेहादी मूल्य के दो गुणा तक एवं अधिनियम की धारा 19(2) के अनुसार सीमित रहेगी ।

(2) विगत या मृत हुए सदस्य की जिम्मेदारी समिति के कर्जों के लिए सदस्यता से हटने की तिथि या मरने की तिथि से दो वर्षों तक रहेगी ।

20. **समिति द्वारा जुटाई जानेवाली निधियों के स्रोत एवं प्रकार –**

अपने कार्यों के लिए समिति निम्न प्रकार से निधि एकत्र कर सकेगी–

(1) हिस्सा जारी करके,

(2) प्रवेश शुल्क से,

(3) सदस्यों से जमा (डिपोजिट) लेकर,

(4) ऋण लेकर अथवा ओवर ड्राफ्ट से या नकद उधार लेकर अथवा सहकारी बैंक, भारत सरकार एवं राज्य सरकार तथा उनके नियंत्रण के विभागों, किसी व्यवसायिक/अनुसूचित बैंक या गैर सदस्यों से रूपये उधार लेकर, और

(5) अनुदान, अर्थ-सहायता तथा दान से,

परन्तु यह कि समिति के विघटन के समय अन्य को देय राशियों को चूकाने के बाद ही सदस्यों को देय राशियों का निपटारा किया जाएगा ।

21. **किन-किन प्रयोजनों से निधियों का उपयोग किया जा सकेगा –**

(1) प्रारंभिक खर्च जो समिति गठित करते समय हुआ हो, प्रवेश शुल्क की राशि से काट लिये जाऐंगे, शेष रकम सांविधिक आरक्षित निधि (Statutory Reserve Fund) में शामिल की जाएगी ।

(2) सभी हिस्सों का रकम जिसका कोई दावेदार न हो और जिसे समिति ने जब्त कर लिया हो, नवीकरण शुल्क तथा किसी अन्य रूप में वसूल की हुई दूसरी रकम सांविधिक आरक्षित निधि में शामिल की जाएगी ।

(3) अन्य निधियाँ समिति के उद्देश्यों की पूर्ति एवं सदस्यों को सेवाऐं देने के प्रयोजनार्थ ऐसी शर्त्तों एवं बंधेजों के आधार पर उपयोग की जायेंगी, जो आपस में तय पाया जाए :

परन्तु यह कि समिति अपनी निधि के उपयोग के संबंध में निर्णय लेते समय यह ध्यान रखेगी कि निवेशित पूंजी से इतनी आय हो सके कि उसमें से खर्च इत्यादि निकाल कर हिस्सा पूंजी पर लगभग 15% लाभांश संभावित हो सके ।

22. **किस सीमा तक और किन शर्त्तों के अधीन जमा राशियां, ऋण तथा अन्य निधियों की उगाही की जा सकेगी —**

समिति बाह्य स्रोतों से डिबेन्चरों, जमा राशि का संग्रहण, अनुदानों की प्राप्ति तथा उधार लेना उस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन कर सकेगी जैसा कि वित्त प्रदायी संस्था या सरकार या व्यक्ति से सहमति हो । बाह्य स्रोतों से जुटाई गई जमा राशि एवं उधार, तथापि, कभी भी सदस्य हिस्सा निधि और संगठनात्मक आरक्षित राशि (Organisational Reserve Fund) घटाव संचित कमी, यदि कोई हो, के दस गुणा से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह कि समिति के विघटन के समय अन्य को देय राशियों का निपटारा करने के बाद ही सदस्यों को देय राशियों का निपटारा किया जाएगा ।

23. **किन शर्त्तों पर और किन प्रयोजनों के लिए राजकीय सहायता तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से सहायता मांगी और प्राप्त की जाएगी —**

(1) समिति अपने उद्देश्यों की पूर्त्ति हेतु सरकार अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऐसे निर्बन्धन एवं शर्त्तों पर निधियाँ/सहायता/गारण्टी को स्वीकार कर सकेगी जैसा कि आपस में करार पाया जाए तथा ऐसी शर्त्तों पर सरकार अथवा अन्य वित्त पोषकों को बोर्ड में एक विशेषज्ञ नाम-निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया जाना सम्मिलित हो सकेगा ।

(2) समिति हिस्सा पूंजी के रूप में सरकार से निधि स्वीकार नहीं करेगी ।

24. **अधिशेष निपटाने की रीति —**

(1) समिति किसी वर्ष में, सदस्यों के साथ संव्यवहार से प्रोद्भूत होने वाले अधिशेष से उस वर्ष में अपने सदस्यों को प्रश्रय रिबेट (Patronge Rebate) के रूप में पच्चीस प्रतिशत से अधिक रकम का आस्थगित भुगतान (deferred Payment) तथा अपने सदस्यों को उनके शेयर के अनुसार हिस्सा पूंजी पर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक लाभांश का भुगतान नहीं करेगी ।

(2) सदस्यों से प्रोद्भूत शेष तथा अन्य के साथ संव्यवहार से प्रोद्भूत सम्पूर्ण अधिशेष का उपयोग निम्नलिखित रूप में किया जाएगा –

(क) पच्चीस प्रतिशत से अन्यून सांविधिक आरक्षित निधि में अन्तरित किया जाएगा,

(ख) बीस प्रतिशत से अन्यून अनवेक्षित हानि (Unforeseen loss) को पूरा करने के लिए आरक्षिति में अन्तरित किया जाएगा,

(ग) जहां समिति सहकारी संघ का सदस्य है, वहाँ सहकारी संघ के सहकारिता शिक्षा निधि में तीन प्रतिशत तक अन्तरित किया जा सकेगा,

(घ) सामान्य निकाय के निर्णयानुसार कर्मचारियों को बोनस का भुगतान किया जाएगा,

(ङ) सामान्य हित निधि (Common Good Fund) में पाँच प्रतिशत से अन्यून अन्तरित किया जा सकेगा, जिसका प्रयोजन सामान्य निकाय द्वारा अनुमोदित हो सकेगा,

(च) सहकारिता आन्दोलन के विकास से सम्बद्ध किसी प्रयोजन हेतु अभिदाय के रूप में पाँच प्रतिशत से अन्यून का भुगतान किया जा सकेगा,

(छ) शेष रकम सांविधिक आरक्षित निधि या किसी अन्य निधि या लाभ-हानि खाता में, जैसा कि सामान्य निकाय निश्चित करे जमा कर दी जाएगी।

25. **विभिन्न निधियों, आरक्षित निधियों का गठन और उनके प्रयोजन –**

(1) सांविधिक आरक्षित निधि –

(i) **सांविधिक आरक्षित निधि निम्नांकित से बनेगी –**

(क) सदस्यों से प्रोद्भूत शेष तथा अन्य के साथ संव्यवहार से प्रोद्भूत सम्पूर्ण अधिशेष राशि का पच्चीस प्रतिशत से अन्यून राशि से;

(ख) समिति के गठन में हुए प्रारंभिक खर्चों को काटकर प्रवेश शुल्क से प्राप्त राशि से,

(ग) सभी हिस्सों का रकम जिसका कोई दावेदार न हो और जिसे समिति ने जब्त कर लिया हो तथा नवीकरण शुल्क तथा किसी अन्य रूप में वसूल की हुई दूसरी रकम से।

(ii) **सांविधिक आरक्षित निधि निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु उपलब्ध हो सकेगी –**

(क) समिति से की जाने वाली ऐसी मांग पूरा करने के लिए जो अन्यथा पूरा नहीं की जा सकती हो। जब फिर तहसील होगी तो इस मद से ली गयी रकम की प्रति पूर्ति कर दी जाएगी।

(ख) ऐसे किसी ऋण की प्रतिपूर्ति के लिए जो समिति को लेना पड़े।

(2) सामान्य हित निधि –

(i) सदस्यों से प्रोद्भूत शेष तथा अन्य के साथ संव्यवहार से प्रोद्भूत सम्पूर्ण अधिशेष राशि के पाँच प्रतिशत से अन्यून राशि से समान्य हित निधि बनेगी।

(ii) इस निधि का उपयोग सदस्यों के सामान्य कल्याणार्थ सामान्य निकाय द्वारा निर्धारित तरीके से किया जायेगा।

(3) आरक्षिति निधि –

(i) सदस्यों से प्रोद्भूत शेष तथा अन्य के साथ संव्यवहार से प्रोद्भूत सम्पूर्ण अधिशेष राशि का बीस प्रतिशत से अन्यून से आरक्षिति निधि बनेगी।

(ii) अनवेक्षित हानि (Unforseen loss) को पूरा करने के लिए आरक्षिति निधि का उपयोग किया जाएगा जिसकी पूर्ति आगे होने वाली लाभ से कर दी जाएगी।

26. **आम सभा और अन्य विशेष सभा बुलाने की रीति और उनकी गणपूर्ति–**

अधिनियम तथा इन उप-विधियाँ के उपबंधों के अधीन समिति का अंतिम प्राधिकार इसकी सामान्य निकाय में निहित होगा। सामान्य निकाय सभी हिस्साधारियों की आम सभा से बनेगी। सामान्य निकाय की आम सभा तीन प्रकार की होगी–

(1) वार्षिक आम सभा,

(2) अध्यपेक्षित आम सभा,

(3) विशेष आम सभा,

(1) वार्षिक आम सभा–

(क) निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से मुख्य कार्यपालक द्वारा आमसभा की सूचना, नियत की गई तारीख, समय और स्थान तथा उसमें सम्पादित होने वाले कार्यों के उल्लेख सहित लिखित रूप में डाक प्रमाण पत्र के द्वारा सभी शेयर धारियों को सभा की तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व भेज दी जायेगी। डाक प्रमाण पत्र सूचना देने का निर्णायक साक्ष्य होगा।

(ख) समिति ऐसी कार्यवाही पुस्तिका रखेगी जिसमें सभी आम सभाओं की कार्यवाहियाँ अभिलिखित की जायेगी। इस पुस्त में उस सभा में उपस्थित सभी सदस्यों के नाम तथा हस्ताक्षर रहेगें और उसपर सभा के अध्यक्ष/सभापति तथा मुख्य कार्यपालक का हस्ताक्षर रहेगा। कार्यवाही की प्रतियाँ सभी सदस्यों को भेजी जायेगी।

(ग) गणपूर्त्ति– आम सभा में कुल सदस्यों की 1/5 की गणपूर्त्ति होगी। गणपूर्त्ति पूरा नहीं होने की दशा में कम से कम एक सप्ताह के लिए सभा स्थगित कर दी जायेगी। यदि स्थगित दूसरी सभा में भी कोरम पूरा

न हो तो प्रथम सभा की प्रस्तावित कार्यवाही का निपटारा उपस्थित सदस्यों के तीन-चौथाई के बहुमत से किया जा सकेगा ।

(घ) प्रत्येक शेयरधारी को एक वोट देने का अधिकार होगा । प्रॉक्सी द्वारा मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी । सभी प्रश्नों पर बहुमत की ही राय मानी जायेगी और दोनों पक्षों के बराबर बराबर वोट देने की दशा में अध्यक्ष /सभापति को एक अतिरिक्त निर्णायक वोट देने का भी अधिकार होगा ।

(2) **अध्यपेक्षित आमसभा –**

समिति के सदस्यों के कम से कम दसवें भाग द्वारा हस्ताक्षरित अध्यपेक्षा की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर निदेशक बोर्ड ऐसी आमसभा का भी आयोजन करेगा तथा ऐसी किसी अध्यपेक्षा में प्रस्तावित कार्यसूची और किन कारणों से सभा आवश्यक समझी गई, अन्तर्विष्ट होगें । किन्तु इस सभा में निदेशक का निर्वाचन संबंधी कार्य नहीं होगा । यदि इस सभा में गणपूर्त्ति नहीं हो तो सभा विघटित कर दी जायेगी ।

(3) **विशेष आम सभा –**

पदावरोही निदेशक बोर्ड द्वारा निर्वाचन सम्पन्न कराने के उद्देश्य से निदेशक बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व बुलायी जा सकेगी । इसमें सिर्फ निर्वाचन संबंधी कार्य ही होगा । इसमें गणपूर्त्ति नहीं होने पर सभा वार्षिक आमसभा की तरह ही स्थगित की जायेगी ।

प्रत्येक शेयरधारी को एक वोट देने का अधिकार होगा । प्रॉक्सी द्वारा मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

यदि निदेशक बोर्ड, निदेशक की कार्यावधि की समाप्ति के पूर्व निर्वाचन संचालित करने हेतु आवश्यक कदम नहीं उठाती है, अथवा यदि निदेशक बोर्ड पर निदेशक बाकी नहीं बच जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में समिति के कुल सदस्यों के न्यूनतम पाँच प्रतिशत सदस्य निर्वाचन संचालन के विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए एक तदर्थ निदेशक बोर्ड को नियुक्त करने के लिए, संयुक्त रूप से सदस्यों की एक सभा का आयोजन कर सकेगें ।

27. **आम सभाओं की आवृति –**

(1) वार्षिक आमसभा प्रत्येक लेखा वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर अवश्य होगी ।

(2) निर्वाचन कराने के प्रयोजनार्थ विशेष आमसभा पदावरोही निदेशकों की पदावधि समाप्त होने के 15 (पन्द्रह) दिन पूर्व होगी । ऐसी आमसभा में सिर्फ निर्वाचन संबंधी कार्य अथवा रिक्तियों को भरने हेतु कार्य ही सम्पन्न किये जायेंगे ।

28. **सामान्य निकाय की भूमिका और सामान्य निकाय के समक्ष विचार हेतु रखे जाने वाले विषय–**

बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम,1996 तथा उप-विधियाँ के उपबन्धों के अध्यधीन समिति का अंतिम प्राधिकार इसके सामान्य निकाय में निहित होगा–

सामान्य निकाय द्वारा निम्नलिखित मामलों का निपटारा किया जाएगा–

(क) निदेशक बोर्ड के निदेशकों का निर्वाचन,

(ख) निदेशक बोर्ड के निदेशकों को हटाना और रिक्तियों को भरना,

(ग) निबंधक के पास दाखिल करने के लिए निदेशक बोर्ड द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट पर विचार,

(घ) सांविधिक लेखा-परीक्षकों (Statutory auditors) एवं आन्तरिक लेखा-परिक्षकों (internal auditors) की नियुक्ति एवं हटाया जाना ।

(ङ) लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट और निबंधक के यहाँ दाखिल किये जाने के लिए लेखा-परीक्षित विवरण पर विचार,

(च) लेखा-परीक्षक/विशेष लेखा-परीक्षा अनुपालन रिपोर्ट पर विचार,

(छ) अधिनियम की धारा 36 के अधीन जाँच रिपोर्ट पर की गयी कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट, यदि कोई हो,

(ज) शुद्ध अधिशेष का निपटान,

(झ) संचालन घाटा, यदि कोई हो, का पुनर्विलोकन,

(ञ) दीर्घकालीन महत्व की योजना और वार्षिक परिचालन योजना का अनुमोदन,

(ट) वार्षिक बजट का अनुमोदन,

(ठ) विनिर्दिष्ट आरक्षिति एवं अन्य निधियाँ का सृजन,

(ङ) आरक्षिति एवं अन्य निधियों की वास्तविक उपयोगिता का पुनर्विलोकन,

(ढ) अन्य सहकारी समितियों में समिति की सदस्यता के संबंध में रिपोर्ट,

(ण) किसी समनुषंगी संगठन (Subsidiary Organisation) की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा का पुनर्विलोकन,

(त) सदस्यता के लिए जिस व्यक्ति का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया हो अथवा जिसकी सदस्यता बोर्ड द्वारा समाप्त कर दी गई हो, उसकी अपील,

(थ) प्रतिनिधि समान्य निकाय की नियुक्ति, पुर्नगठन एवं भंग करना,

(द) किसी निदेशक या आन्तरिक लेखा-परीक्षक को उस हैसियत से अपने कर्त्तव्य के लिए अथवा संबंधित बैठकों में उसकी उपस्थिति के लिए देय पारिश्रमिक,

(ध) संघ/परिसंघ में समिति की सदस्यता,

(न) अन्य संगठनों के साथ सहयोग,

(प) उप-विधियाँ का संशोधन

(फ) निदेशकों एवं पदधारियों के लिए आचार-संहिता बनाना,

(ब) सदस्यों को सम्मिलित किये जाने एवं सदस्यता समाप्त किये जाने संबंधी टिप्पणी,

(भ) समिति का विघटन,

(म) निदेशक बोर्ड एवं कार्यपालक पदाधिकारी के बीच उत्पन्न विवादों का निपटारा,

(य) ऐसे अन्य कृत्य, जो इस उप-विधि में विनिर्दिष्ट हो ।

29. **उप-विधियाँ संशोधित करने की रीति –**

(1) समिति, अपने सामान्य निकाय अथवा प्रतिनिधि समान्य निकाय, जहाँ यह अस्तित्व में हो द्वारा, मताधिकार प्राप्त उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा समिति की उप-विधियाँ के किसी उपबन्ध को संशोधित कर सकेगी :

परन्तु यह कि ऐसा कोई संकल्प तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जबतक कि प्रस्तावित संशोधन की प्रति के साथ, यथास्थिति, सामान्य निकाय या प्रतिनिधि सामान्य निकाय के प्रत्येक सदस्य को बैठक के पूरे बीस दिन पूर्व लिखित नोटिस न दे दी गई हो, तथा ऐसी नोटिस और प्रस्तावित संशोधन को बैठक की तारीख से ठीक पहले बीस दिनों की कालावधि तक समिति के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित न किया गया हो,

परन्तु यह और कि प्रतिनिधि सामान्य निकाय उप-विधियाँ में अपने गठन एवं शक्तियों से संबंधित किसी उपबंध को परिवर्तित नहीं करेगी ।

(2) संशोधन के निबंधन के लिए आवेदन संकल्प पारित होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर निबंधक को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) निबंधक को प्रस्तुत हरेक आवेदन पत्र पर अध्यक्ष तथा बोर्ड के दो सदस्यों का हस्ताक्षर होगा और उसके साथ निम्नलिखित विशिष्टियां संलग्न की जायेंगी –

(क) संशोधन को अंगीकार करने वाले संकल्प की प्रति,

(ख) जिस आम सभा में संशोधन अनुमोदित किया गया हो उसकी तारीख,

(ग) आम सभा के लिए जारी की गयी नोटिस की तारीख,

(घ) ऐसी आम सभा की तारीख को समिति की नामावली में दर्ज सदस्यों की कुल संख्या जिन्हें मताधिकार प्राप्त हो,

(ङ) ऐसी आम सभा में उपस्थित मताधिकार प्राप्त सदस्यों की संख्या, और

(च) संकल्प के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या ।

30. **निर्वाचन की प्रक्रिया –**

(1) समिति के निदेशक बोर्ड के निर्वाचन के संचालन की जिम्मेदारी पदधारी निदेशक बोर्ड की होगी ।

(2) निर्वाचन पदावरोही निदेशक की पदावधि समाप्त होने से पूर्व सामान्य निकाय की विशेष आमसभा में निदेशक बोर्ड द्वारा नियुक्त निर्वाचन पदाधिकारी स्वच्छ निर्वाचन हेतु आवश्यक सभी कार्यों का सम्पादन करेगें तथा निर्वाचन संबंधी सभी बिन्दुओं पर उनके द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा । निर्वाचन पदाधिकारी (i) नामांकन की

तिथि (ii) नामांकन पत्रों की जाँच (iii) नामांकन सूची का प्रदर्शन (iv) नामांकनों पर आपत्ति (v) आपत्ति का निष्पादन (vi) वैध नामांकन सूची का प्रकाशन (vii) नामांकन वापसी (viii) नामांकन वापसी के पश्चात अंतिम वैध नामांकन सूची का प्रकाशन (ix) चुनाव चिन्हों, का आवंटन हेतु तिथि का निर्धारण करेगा, जो विशेष आम सभा की तिथि के पूर्व की तिथियाँ होगी।

(3) जहाँ उम्मीदवारों की संख्या निर्वाचित होने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक हो जाए, वहाँ निदेशकों का निर्वाचन गुप्त मत पत्र द्वारा होगा। बराबर मत प्राप्त होने की दशा में निर्णय लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

(4) जहाँ निदेशक बोर्ड में रिक्ति हो और जहाँ ऐसी रिक्ति के कारण निदेशकों की गणपूर्ति नहीं हो वहाँ शेष निदेशक बची हुई अवधि के लिए किसी भी रिक्ति की पूर्ति हेतु सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ विशेष आम सभा बुलायेंगे, यदि बची हुई अवधि छह माह से अधिक हो।

31. **निर्वाचन कराने में समिति के असफल रहने की दशा में निर्वाचन प्रकिया –**

(1) यदि निदेशक बोर्ड, निदेशक की कार्यावधि की समाप्ति के पूर्व, निर्वाचन संचालित करने हेतु आवश्यक कदम नहीं उठाता है, अथवा, जहाँ, निदेशक बोर्ड पर निदेशक बाकी नहीं बच गये हों, वहाँ समिति के कुल सदस्यों के न्यूनतम पाँच प्रतिशत सदस्य निर्वाचन संचालन के विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए एक तदर्थ निदेशक बोर्ड को नियुक्त करने के लिए, संयुक्त रूप से सदस्यों की एक आम सभा का आयोजन कर सकेंगे। इस प्रकार नियुक्त तदर्थ निदेशक बोर्ड की अवधि तीन माह से अधिक की नहीं होगी तथा इसी अवधि में नियमित निदेशक बोर्ड का गठन हेतु निर्वाचन सम्पन्न करना आवश्यक होगा। तदर्थ निदेशक बोर्ड उप-विधि 30(2) के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर निर्वाचन सम्पन्न करायेगी।

(2) यदि उप-विधि 31(1) के अनुसार तदर्थ बोर्ड का गठन नहीं होता है तो समिति जिस परिसंघ से सम्बद्ध होगी उस परिसंघ का कर्त्तव्य होगा कि वह निबंधक को सूचित करे। परिसंघ द्वारा सूचित किये जाने पर अथवा परिसंघ यदि नहीं हो तो अन्य स्रोत से जानकारी प्राप्त होने पर निबंधक, स्वप्रेरणा से, निर्वाचन के संचालनार्थ विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए, एक दूसरे तदर्थ निदेशक बोर्ड की नियुक्ति हेतु एक आम सभा बुला सकेगी। इस तदर्थ निदेशक बोर्ड की कार्यावधि एक माह से अधिक नहीं होगी।

यह तदर्थ निदेशक बोर्ड उपविधि 30 (2) के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर निर्वाचन सम्पन्न करायेगी। नियमित निदेशक बोर्ड के निर्वाचित होते ही यह तदर्थ निदेशक बोर्ड स्वत: समाप्त हो जाएगी।

32. **निदेशक बोर्ड का आकार और गठन –**

(1) सामान्य निकाय की बैठक के निदेश के अधीन रहते हुए समिति का प्रबन्ध कार्य निदेशक बोर्ड में निहित होगा। निदेशक बोर्ड में 11 निदेशक रहेंगे। (ग्यारह) 11 निदेशक रहेंगे।

(2) अध्यक्ष एवं अन्य पदधारकों का निर्वाचन निर्वाचित निदेशकों में से निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

33. **निदेशक बनने की प्रात्रता –**

(1) कोई सदस्य निदेशक के रूप में चुने जाने का अपात्र होगा यदि–

(क) सदस्य के रूप में, वह किसी समय मताधिकार खो दिया हो, या

(ख) उप-विधियों के प्रावधानानुसार सदस्य नहीं रह जाए अथवा सदस्य बने रहने का अधिकार खो दिया हो, या

(ग) समिति से लिये गये ऋण के किस्तों का किसी समय नियमित भुगतान नहीं किया हो और/अथवा बकायादार हो।

(2) निदेशक के रूप में चुने जाने का पात्र होने के लिए (यदि समिति दो वर्षों से अधिक की अवधि से अस्तित्व में है), किसी सदस्य के लिए यह आवश्यक होगा कि वह–

(क) निर्वाचन वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती कम-से-कम दो वर्षों तक मतदाता सदस्य बना रहा हो,

(ख) समिति की सामान्य निकाय की, निर्वाचन के ठीक पूर्ववर्ती दो सभाओं में भाग लिया हो, और

(ग) लगातार दो कार्यावधि तक समिति का निदेशक या पदधारी नहीं रहा हो।

34. **निदेशक पद को प्रतिधारित करने की शर्तें —**

(1) कोई व्यक्ति निदेशक नहीं रह जाएगा, यदि वह–

(क) उप-विधि 33 में उल्लेखित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता हो, या

(ख) वह निदेशक बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में, अनुपस्थिति की इजाजत लिये बिना, अनुपस्थित रहता हो, या

(ग) वह सामान्य निकाय के लगातार किसी तीन सभाओं में, अनुपस्थिति की इजाजत लिए बिना, अनुपस्थित रहता हो, या

(घ) बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अधीन दंडित किया गया हो,

(2) निदेशक बोर्ड के सभी निदेशक तीन वर्षों की कालावधि के लिए निदेशक चुने जाने के निरर्हताग्रस्त हो जाएंगे, यदि समिति के निदेशक के रूप में अपनी अवधि के दौरान–

(क) वे उप-विधियाँ में यथा विनिर्दिष्ट समय के भीतर और अपनी पदावधि की समाप्ति से पहले निर्वाचन न कराएं,

(ख) वे समिति की लेखा-वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर सामान्य निकाय की वार्षिक आम सभा अथवा सामान्य निकाय की कोई अधियाचित आम सभा नहीं कराएं, या

(ग) वे सामान्य निकाय की वार्षिक आम सभा के समक्ष लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ विगत वित्तीय वर्ष की संपरीक्षित लेखा नहीं रखें ।

35. निदेशक बोर्ड की कार्यावधि –

निदेशक बोर्ड की कार्यावधि तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह कि प्रथम निदेशक बोर्ड की कार्यावधि समिति के निबंधन की तारीख से लेकर बारह माह से अधिक की नहीं होगी ।

36. निदेशक को हटाने तथा रिक्ति को भरने की प्रक्रिया –

उप-विधि 34(1) के प्रावधानों के तहत किसी निदेशक को अपने पद पर बने रहने के अयोग्य हो जाने की स्थिति में उसे एक कारण बताओं सूचना दी जाएगी । कारण बताओं सूचना के उत्तर पर विचार सामान्य निकाय की आम सभा में किया जायेगा । उत्तर संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर आम सभा के बहुमत से उसे हटा दिया जाएगा और उसके स्थान पर उप-विधि के प्रावधानों के अधीन रिक्त स्थान भरा जाएगा ।

37. निदेशक बोर्ड की बैठक बुलाने की रीति और गणपूर्त्ति –

(1) निदेशक बोर्ड की बैठक जब कभी भी आवश्यकता होगी बुलाई जाएगी । बैठक की सूचना, नियत की गई तारीख, समय और स्थान तथा सम्पादित होने वाले कार्यों के उल्लेख सहित लिखित रूप में सूचना, पुस्तिका द्वारा एवं उस पर हस्ताक्षर लेकर अथवा डाक प्रमाण पत्र द्वारा लिखित सूचना निदेशकों के पास बैठक की तारीख से सात दिनों पूर्व भेज दी जाएगी । ऐसी सूचना अध्यक्ष के अनुमोदन से एवं कार्यपालक पदाधिकारी के हस्ताक्षर से भेजी जाएगी । विशेष परिस्थिति में अल्प अवधि में भी बैठक बुलाई जाएगी ।

(2) निदेशक बोर्ड की बैठकों में 5 निदेशकों की गणपूर्त्ति होगी ।

38. निदेशक बोर्ड की बैठकों की आवृत्ति –

(1) निदेशक बोर्ड की बैठक तीन माह में कम-से-कम एक बार अवश्य होगी परन्तु आवश्यकता पड़ने पर जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी होगी ।

(2) निदेशक बोर्ड की बैठक की कार्यवाही, कार्यवाही पुस्तिका में मुख्य कार्यपालक द्वारा अभिलिखित की जाएगी और ऐसी अभिलिखित कार्यवाही बैठक/सभा की अध्यक्षता करनेवाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी । ऐसी कार्यवाही की प्रतियाँ सभी निदेशकों को भेजी जाएगी ।

39. निदेशक बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य –

निदेशक बोर्ड की निम्नांकित शक्तियाँ और कृत्य होंगे–

(क) सदस्य बनाने या सदस्यता समाप्त करना,

(ख) अध्यक्ष एवं अन्य पदधारियों को निर्वाचित करना,

(ग) अध्यक्ष एवं अन्य पदधारियों को हटाने,

(घ) मुख्य कार्यपालक को नियुक्त करना एवं हटाना,

(ङ) कर्मचारीवृन्द की संख्या निर्धारित करना,

(च) सूद का दर निश्चित करना,

(छ) निम्नलिखित के संबंध में नीतियां निर्धारित करना—

(i) सदस्यों की दी जाने वाली सेवा का संगठन एवं प्रबंध,

(ii) अर्हता, भर्ती, सेवा शर्त्तें एवं कर्मचारियों से सम्बन्धित अन्य मामले,

(iii) निधियों की अभिरक्षा एवं निवेश का ढंग,

(iv) लेखा संधारण की रीति,

(v) विभिन्न निधियों का संग्रहण, उपयोग एवं निवेश,

(vi) सदस्यों को ऋण देने की सीमा, जमानत और अचल सम्पत्ति बंधक लेकर सीमा से अधिक ऋण देने का ढंग,

(vii) दिये गये ऋण की अदायगी के लिए किस्त निर्धारण करना,

(viii) सूचना पद्धति के अनुश्रवण (monitoring) एवं प्रबंध तथा दाखिल की जानेवाली सांविधिक विवरणी,

(ix) समिति के प्रभावी कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक अन्य विषय और मामले,

(ज) सामान्य निकाय के अनुमोदन के लिए वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक योजना और बजट को प्रस्तुत करना,

(झ) लेखा-परीक्षा एवं अनुपालन रिपोर्टों पर विचार करने और उन्हें सामान्य निकाय के समक्ष प्रस्तुत करना,

(ञ) अन्य सहकारी समितियों की सदस्यता का पुनर्विलोकन करना,

(ट) सामान्य निकाय द्वारा प्रत्यायोजित अन्य कृत्यों का जिम्मा लेने का प्राधिकार होगा ।

40. **अध्यक्ष की शक्तियाँ और कृत्य –**

(1) निर्वाचित निदेशकों में से निदेशक बोर्ड द्वारा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा ।

(2) अध्यक्ष, उप-विधियों के अनुसार–

(क) निदेशक बोर्ड की बैठकों एवं सामान्य निकाय की सभाओं की अध्यक्षता करेगा,

(ख) चुनाव के मामलों को छोड़कर निदेशक बोर्ड द्वारा निर्णय किए जाने वाले किसी अन्य मामले में बराबर-बराबर मत प्राप्त होने की दशा में अपना निर्णायक मत देगा,

(ग) निदेशक बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों में या अंगीकृत संकल्पों में विनिर्दिष्ट, बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा,

(घ) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा/बैठक में उपस्थित सदस्य/निदेशक अपने बीच से एक सभापति का चुनाव कर सकेंगे जो उस सभा/बैठक का सभापतित्व करेगा तथा उसे भी ग्रंथि (tie) की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार होगा, किन्तु यह अधिकार चुनाव के मामलों में नहीं रहेगा ।

41. **मुख्य कार्यपालक की शक्तियाँ और कृत्य** — निदेशक बोर्ड के निदेशों, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए मुख्य कार्यपालक की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य होंगे–

(1) लेखाओं का समुचित संधारण करना ।

(2) समिति के दैनिक प्रशासन एवं कार्यकलाप की देख-रेख करना ।

(3) समिति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भूमि, भवन के लिए करार एवं ठेका करना ।

(4) स्थापना सामग्रियों, कार्यालय के जरूरी समान, स्टेशनरी की खरीद एवं अन्य आकस्मिक व्यय मंजूर करना ।

(5) विनियम पत्र पर निकासी करना, उसे स्वीकृत करना, उसे पृष्ठांकित करना तथा उस पर लेन-देन करना और शेयर एवं सरकारी प्रतिभूतियों का पृष्ठांकन, उनकी बिक्री, अन्तरण या अन्यथा निपटारा करना ।

(6) समिति के बैंक खाते का परिचालन निदेशक बोर्ड के किसी दो सदस्य या अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से करना ।

(7) निदेशक बोर्ड के निदेशानुसार सामान्य निकाय की आम सभाओं और निदेशक बोर्ड की बैठकों के लिए सूचना निर्गत करना, सभा/बैठक का आयोजन एवं कार्यवाही तैयार करना ।

(8) समिति के कार्मिकों पर नियंत्रण रखना ।

(9) समिति की ओर से वाद दायर करना एवं प्रतिरक्षा करना ।

(10) समिति के बकायों की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई करना ।

(11) रोकड़ पंजी को सत्यापित करना ।

(12) लाभ-हानि का लेखा तथा तुलन-पत्र तैयार करना ।

42. **सदस्यों के हितों के विरूद्ध कार्य करने तथा सदस्यों, निदेशकों और कर्मचारियों द्वारा कर्त्तव्यों को पूरा न करने के लिए शास्तियाँ —**

(1) सामान्य निकाय द्वारा किसी सदस्य को सौंपे गये कर्त्तव्यों को पूरा नहीं करने पर ऐसे सदस्य के विरुद्ध सामान्य निकाय द्वारा समुचित कार्रवाई की जा सकेगी ।

(2) यदि निदेशक बोर्ड सदस्यों के हितों के विरूद्ध कार्य करे और उपविधि 39 में निर्धारित कर्त्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ हो तो सामान्य निकाय द्वारा ऐसी निदेशक बोर्ड को उसके कार्यकाल के तीन वर्ष पूरा होने से पहले भी भंग करने पर विचार किया जा सकता है और नयी निदेशक बोर्ड का गठन किया जा सकता है ।

(3) यदि निदेशक बोर्ड का कोई निदेशक ऐसा कोई कार्य करे जो अधिनियम की धारा-42 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अपराध की श्रेणी में आता हो तो वह उसी धारा के अनुसार दंड का भागी होगा ।

(4) यदि कोई कर्मचारी अपने कर्त्तव्यों को पूरा नहीं करे तो वह समिति की कार्मिकों की सेवा नियमावली में विहित प्रावधानानुसार अथवा यदि ऐसी नियमावली नहीं है तो निदेशक बोर्ड द्वारा निर्धारित दंड का भागी होगा ।

43. **लेखाओं तथा अभिलेखों का संधारण –**

(1) समिति अपने निबंधित कार्यालय में निम्नलिखित लेखाओं एवं अभिलेखों को रखेगी–

(क) समय-समय पर किए गए संशोधन सहित बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (बिहार अधिनियम 2, 1997) की एक प्रति ।

(ख) कार्यवाही पुस्तिका (कार्यवृत पुस्तक)।

(ग) निबंधन प्रमाण पत्र तथा निबंधित उप-विधियाँ की एक प्रति और संशोधन की तारीख सहित समय-समय पर निबंधित संशोधनों की एक प्रति ।

(घ) संघ/परिसंघ जिसका समिति सदस्य हो, की तथा अपने सदस्य सहकारी समिति की अधिप्रमाणित उप-विधियाँ की एक-एक प्रति ।

(ङ) समिति द्वारा प्राप्त तथा खर्च की गई सभी धनराशि, उनके प्रयोजनों सहित, का लेखा ।

(च) समिति द्वारा समानों की सभी खरीद-बिक्री का लेखा ।

(छ) समिति के सम्पत्तियों तथा दायित्वों की लेखा ।

(ज) कुल सदस्यता तथा विभिन्न सेवाओं का सदस्यवार उपयोग प्रदर्शित करनेवाली पंजी ।

(झ) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर अद्यतन की गई चालू वर्ष के लिए मताधिकार प्राप्त सदस्यों की सूची ।

(ञ) निदेशक बोर्ड की नीतियों की प्रतियां ।

(ट) वार्षिक रिपोर्ट, लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, विशेष लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट और उनका अनुपालन प्रतिवेदन ।

(ठ) अन्य विधियों तथा विनियमों की प्रतियां, जिनके अध्यधीन समिति हो ।

(ड) ऐसे अन्य दस्तावेज, जो समिति के कृत्यों से सुसंगत हों ।

(2) अधिनियम, उप-विधियाँ, कार्यवृत पुस्तिका, मतदाता सूची तथा किसी सदस्य से संबंधित लेखाओं की प्रतियां, समिति द्वारा निश्चित की गई फीस पर कार्य-समय में किसी भी सदस्य को उपलब्ध कराई जायगी ।

(3) समर्थनकारी अभिलेखों तथा भाउचरों सहित, समिति की लेखा पुस्तकें 8 वर्षों के लिए परिरक्षित (Preserved) की जायेंगी ।

44. **कर्ज का वितरण और वसूली –**

(1) साधारणत: उप-विधि 4 में वर्णित उद्देश्यों (सदस्यों की आवश्यकताओं)को पूरा करने के लिए सदस्यों को कर्ज दिया जाएगा । जमानत या अचल सम्पति बंधक लेकर सीमा से अधिक कर्ज दिया जा सकेगा जैसा निदेशक

बोर्ड निर्धारण करेंगे । यदि कर्ज वर्णित काम में नहीं लगाया जाता है तो निदेशक बोर्ड संपूर्ण कर्ज को वापस ले सकेगी । कर्ज देते समय सरकार या वित्त प्रदायी बैंक या संस्था या एजेंसी के द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों का पालन किया जाएगा ।

(2) सरकार या वित्त प्रदायी बैंक या संस्था या एजेंसी द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निदेशों के अनुसार सदस्यों द्वारा लिये गये कर्ज पर सूद की दर निश्चित की जाएगी । सूद का हिसाब प्रति वर्ष एक बार दिया जाएगा ।

(3) निदेशक बोर्ड विशेष अवस्थाओं में आमतौर पर जमानतदारों के विचार से किस्त देने की अवधि बढ़ा सकती है ।

(4) सामान्य निकाय उन सभी किस्तों पर जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी है, दंड सूद की दर लगाने की अनुमति दे सकती है, वशर्ते कि दंड सूद की दर 2.5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो । दंड सूद में तबदीली का अधिकार सामान्य निकाय को होगा ।

45. यदि कोई सदस्य समिति से अलग कर दिया जाए या निष्कासित कर दिया जाए तो उसे कर्ज की शर्तों पर ध्यान दिये बिना ही समिति का कुल बकाया चुका देना होगा ।

46. सभी खरीद-बिक्री केवल नकद में होगी और गैर-सदस्यों के हाथ भी हो सकती है ।

47. वस्तुओं के गुण या कीमत के लिये या समिति के पदधारी/कर्मचारी के आचरण के विरूद्ध की गयी सभी शिकायतें निदेशक बोर्ड के सदस्यों के सामने पेश की जायेगी ।

48. **निश्चित जमा और बचत जमा –**

समिति भारतीय रिजर्व बैंक या सहकारी बैंक द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों के अनुसार समान्य निकाय द्वारा निश्चित की गयी सूद की दर पर सदस्यों एवं गैर सदस्यों से निश्चित जमा एवं बचत जमा ले सकेगी ।

49. **लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति और उनकी भूमिका तथा लेखा परीक्षा संचालित करने की प्रक्रिया और लेखा परीक्षा अनुपालन की समय-सीमा –**

(1) समिति अपने लेखाओं की लेखा-परीक्षा परिसंघ द्वारा तैयार की गई नामावली से चयनित लेखा-परीक्षक द्वारा कराएगी । ऐसा लेखा-परीक्षक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत या तो चार्टड एकाउन्टेन्ट होगा या निबन्धक के कार्यालय का होगा । नामावली निबन्धक कार्यालय द्वारा भी रखी जाएगी । जहां ऐसा संघ/परिसंघ न हो, वहां ऐसे लेखा-परीक्षक का चयन निबन्धक द्वारा रखी गई नामावली से किया जायेगा ।

(2) लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में समिति की रिपोर्ट के अतिरिक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति, निदेशकों द्वारा समिति को मंजूर किए गए ऋण एवं अग्रिम या समिति के साथ किए गए कारबार, बोर्ड की बैठकों पर हुए व्यय, निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक, निदेशकों को प्रतिपूर्ति, किए गए व्यय, सदस्यों, स्टाफ, निदेशकों तथा अन्य की शिक्षा और प्रशिक्षण पर हुये व्यय से सम्बद्ध रिपोर्ट भी अन्तर्विष्ट होगी ।

(3) यह सुनिश्चित करना बोर्ड का कर्त्तव्य होगा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर वार्षिक वित्तीय विवरणों को तैयार करके लेखा-परीक्षा हेतु प्रस्तुत कर दिया जाय ।

(4) लेखा-परीक्षक के पारिश्रमिक का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा तथा सामान्य निकाय को अगली सभा में इसे सूचनार्थ रखा जा सकेगा ।

(5) सामान्य निकाय विशेष आम सभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा किसी लेखा-परीक्षक को अपने पद से हटा सकेगा ।

(6) लेखा-परीक्षक को प्रत्येक आम सभा की नोटिस दी जायगी तथा वह सभा में भाग लेने का हकदार होगा ।

(7) समिति के लेखा-परीक्षक की मांग पर, समिति के वर्तमान या पूर्व पदधारी, बोर्ड के सदस्य, सदस्य या कर्मचारी–

(क) ऐसा सूचना और ऐसा स्पष्टीकरण देंगे, जैसा कि आवश्यक समझा जाय, तथा

(ख) समिति के प्रत्येक ऐसे अभिलेखों, दस्तावेजों, बहियों, लेखाओं और भाउचरों को देखने देंगे, जो लेखा-परीक्षक की राय में जांच करने और रिपोर्ट तैयार करने में उसे समर्थ होने के लिए आवश्यक हो ।

(8) जहां समिति समय पर अपने वार्षिक लेखाओं की लेखा-परीक्षा कराने में असफल हो, वहां लेखा-परीक्षा के लिए नियत तारीख से नब्बे दिनों के भीतर समिति के लेखाओं की लेखा-परीक्षा कराना सहकारी संघ/परिसंघ का उत्तरदायित्व होगा ।

(9) ऐसी लेखा-परीक्षा कराने का खर्च समिति द्वारा वहन किया जायेगा ।

(10) यदि सहकारी संघ/परिसंघ किसी कारणवश समिति की लेखा-परीक्षा करा पाने में असमर्थ हो, तो निबंधक समिति के लेखाओं की लेखा-परीक्षा कराएगा ।

50. **विशेष लेखा-परीक्षा –**

(1) सहकारी या अन्य वाह्य व्यक्ति या संस्थाओं से निधियों का संव्यवहार करने वाली समिति की विशेष लेखा-परीक्षा ऐसे लेनदार के अनुरोध पर निबंधक द्वारा, ऐसे विनिर्दिष्ट निदेश निर्बन्धन जैसा कि निबंधक द्वारा करार पाया गया हो, के अध्यधीन शुरू की जा सकेगी ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन विशेष-लेखा परीक्षा का खर्च लेनदार द्वारा वहन किया जायगा :

परन्तु वह कि जहाँ विशेष लेखा-परीक्षा से समिति में गम्भीर कुप्रबंध का पता चले, वहां ऐसा खर्च समिति से या कुप्रबंध के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूल किया जा सकेगा ।

(3) प्रत्येक विशेष लेखा-परीक्षा आरम्भ होने की तारीख से एक सौ बीस दिनों के भीतर पूरी करके रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

(4) विशेष लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में:—

(क) प्रत्येक भुगतान का विवरण जो लेखा-परीक्षक को विधि के प्रतिकूल प्रतीत हो,

(ख) रकम की कमी, बर्बादी वा हानि का विवरण, जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने कर्त्तव्यों के अनुपालन में बरती गई घोर उपेक्षा या किए गए कदाचार के कारण हुई प्रतीत हो,

(ग) प्राप्त किसी धन राशि का विवरण, जिसका लेखा-जोखा दिया जाना चाहिए था, किन्तु किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा नहीं किया गया हो, तथा

(घ) कोई तात्विक अनौचित्य या अनियमितता, जिसका उसे देय धन के व्यय या वसूली में पता चले अन्तर्विष्ट रहेगा ।

(5) विशेष लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर निबंधक उसकी प्रतियां

(क) आवेदक लेनदार,

(ख) संबंधित समिति, और

(ग) जहाँ आवश्यक हो, वहां सहकारी अधिकरण की संप्रेषित करेगा ।

51. **विवरणियाँ दाखिल करना –**

वर्ष की समाप्ति के पाँच माह के भीतर, समिति निबंधक के समक्ष निम्नलिखित सूचना दाखिल करेगी—

(क) कार्यकलाप की वार्षिक रिपोर्ट,

(ख) लेखाओं का लेखा-परीक्षित विवरण,

(ग) सामान्य निकाय द्वारा यथानुमोदित अधिशेष निपटाव हेतु योजना,

(घ) निदेशक के नामों की सूची तथा उनकी कार्यावधि,

(ङ) समिति की उप-विधियाँ में किए गए संशोधनों की सूची,

(च) सामान्य निकाय की सभा के आयोजन की तारीख तथा जहाँ निर्वाचन होना बाकी है, वहां उसके संचालन से संबद्ध घोषणा,

(छ) लेखा-परीक्षा/विशेष लेखा-परीक्षा/जांच से सम्बद्ध अनुपालन रिपोर्ट ।

52. **समिति की ओर से दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने तथा वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों के दायर करने एवं प्रतिरक्षा करने के लिए पदधारी या पदधारियों को प्राधिकृत करना —**

(1) समिति के बैंक खाते का परिचालन अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या निदेशक बोर्ड के कोई दो सदस्य (जिन्हें समान्य निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जाए) और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा ।

(2) समिति की ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने, वादों एवं अन्य विधिक कार्यवाहियों के दायर करने तथा प्रतिरक्षा करने के लिए समिति के मुख्य कार्यपालक की हैसियत से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी प्राधिकृत होगा ।

53. **निर्बन्धनों जिन पर समिति गैर-सदस्यों के साथ व्यवहार कर सकेगी –**

समिति की सेवाएं सामान्यत: केवल सदस्यों को ही उपलब्ध होगी, परन्तु कार्यक्षेत्र के गैर-सदस्यों से भी समिति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के प्रयोजनार्थ संव्यवहार कर सकेगी :

परन्तु ऐसा संव्यवहार ऐसी शर्त्तों एवं निर्बन्धनों के अधीन होगा जैसा उप-विधि 11 के अनुसार निदेशक बोर्ड तय करें :

परन्तु यह और कि ऐसे गैर-सदस्य, जो किसी अन्य निबंधित सहकारी समिति के बकायेदार हो, को सेवाएँ प्रदान नहीं की जाएगी ।

54. **निर्बन्धनों, जिन पर समिति अन्य सहकारी समितियों के साथ सहयुक्त कर सकेगी –**

कार्यक्षेत्र की अन्य सहकारी समितियाँ के साथ भी समिति ऐसे शर्त्तों या निर्बन्धनों पर सहयुक्त कर सकेगी जो समिति की सामान्य निकाय विनिश्चित करें ।

55. **निर्बन्धनों, जिनपर समिति अन्य सहकारी समिति से भिन्न संस्थाओं से व्यवहार कर सकेगी–**

(1) समिति अपने वर्णित उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये आम सभा में मताधिकार प्राप्त उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, एक या अधिक समनुषंगी संगठनों को प्रवर्तित कर सकेगी, और ऐसे संगठन या संगठनों को, सामान्य निकाय द्वारा यथासहमत, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निबंधित कराया जा सकेगा ।

(2) ऐसे किसी समनुषंगी संगठन की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा प्रति वर्ष प्रवर्त्तक समिति की आम सभा में प्रस्तुत किया जायगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन सृजित कोई समनुषंगी संगठन तब तक ही अस्तित्व में रहेगा जब तक कि समिति का सामान्य निकाय उसके अस्तित्व को आवश्यक समझे ।

(4) जहां समिति और किसी अन्य संगठन या संगठनों के बीच सहयोग के लिये किसी नये संगठन का सृजन करना अपेक्षित हो, वहां नया संगठन कम्पनी या लोक समिति के रूप में, जो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये समुचित हो जिसके लिये इसका सृजन किया गया हो, निबंधित किया जा सकेगा ।

56. (1) **सम्बद्धक परिसंघ को निम्नलिखित अधिकार प्रदत समझे जायेंगे –**

(क) समिति और अन्य सहकारी समितियों के बीच समान्जस्यपूर्ण संबंध का संवर्धन करना,

(ख) अन्य सहकारी समितियों या समिति से किसी विवाद तथा समिति और उसके सदस्यों के बीच हुए विवाद का निपटारा करने में समिति एवं उनके सदस्यों की सहायता करना,

(ग) समिति के हितों का प्रतिनिधित्व करना तथा समिति के अनुकूल नीतियों एवं विधानों के लिए लॉबी करना,

(घ) लेखा-परीक्षकों की एक नामावली तैयार करना तथा समिति में समय पर वार्षिक लेखा-परीक्षा का संचालन सुनिश्चित करना,

(ङ) समिति में समय पर निर्वाचन का संचालन सुनिश्चित करना,

(च) आम सभाओं के नियमित संचालन में समिति की सहायता करना और अध्यपेक्षित आम सभा बुलाना,

(छ) समिति के अनुपालनार्थ आचार संहिता तैयार करना,

(ज) समिति के लिए अस्तित्वक्षम्य होने का प्रतिमान तैयार करना,

(झ) विधिक सहायता एवं परामर्श देना,

(ञ) समिति के क्षेत्र में रहनेवाले लोगों के स्वावलम्बी समूहों को संगठित करने में सहायता करना,

(ट) समिति के कहने पर कोई अन्य सेवाएँ उपलब्ध करना ।

(2) परिसंघ अपने उपर्युक्त अधिकारों का प्रयोग वैसी परिस्थितियों में करेगा जैसा कि अधिनियम तथा समिति की उप-विधियाँ में वर्णित है ।

57. **समिति परिसमापन के अधीन हो तो निधियों के निपटाने की रीति –**

समिति के परिसमापनाधीन होने पर परिसमापक समिति की सम्पत्ति एवं निधियों के निपटान की ऐसी रीति अपना सकेगा, जो अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, वह आवश्यक समझे ।

58. **समिति का लेखा वर्ष –**

समिति का लेखा वर्ष पहली अप्रील से प्रारंभ होगा तथा एक्तीस मार्च को समाप्त होगा ।

59. **किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में नाम–निर्देशिती के नाम शेयरों एवं हित का अन्तरण –**

समिति के सदस्य अपने आवेदन में किसी ऐसे व्यक्ति को नाम निर्देशित (मनोनीत) कर सकेगा, जिसे उसकी मृत्यु के बाद समिति में निहित उसका पूरा हित और हिस्सा या उसका कोई भाग अंतरित किया जाएगा । ऐसा नाम निर्देशित व्यक्ति का पूरा नाम एवं पता समिति के बही में दर्ज कर लिया जाएगा । यदि कोई व्यक्ति नाम-निर्देशित नहीं किया गया हो तो सदस्य के वैध उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को ऐसी राशि का भुगतान किया जा सकेगा ।

60. **समिति के विघटन की रीति –**

समिति का विघटन बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (बिहार अधिनियम-2, 1997) की धाराएँ 43, 44, 45, 46, 47 एवं 48 के प्रावधानों के अनुसार हो सकेगा ।

61. सम्बद्धक परिसंघ के मार्गदर्शन एवं सहायता और सामान्य निकाय द्वारा निर्धारित रीति से समिति अपने कार्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्वावलम्बी समूहों को संगठित कर सकेगी और उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण के कार्यक्रम संचालित कर सकेगी ।

62. (1) समिति के निदशेक बोर्ड में एक स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति तथा एक स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे ।

(2) सामान्य निकाय द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार समिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों के स्वावलम्बी लोगों को संगठित करेगी, उनकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रम संचालित करेगी और ऐसे विशेष उपाय भी करेगी जो उनकी आर्थिक स्थिति की बेहतरी के प्रयोजनों की सिद्धि में सहायक हो ।

63. वित्तीय सहायता के संबंध में एक नियमावली निदेशक बोर्ड द्वारा बनायी जायेगी जिसे सामान्य निकाय के अनुमोदन से लागू किया जायेगा ।

64. **विवाद** — कोई भी विवाद जिसका निपटारा निदेशक बोर्ड या सामान्य निकाय की बैठक में नहीं हो सके, बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा 40 के प्रावधानों के अनुसार हो सकेगा ।

65. ऐसे सभी विषयों का विनिश्चय जो इन उप-विधियाँ में विशेष रूप से उपबंधित न हो, बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (बिहार अधिनियम 2, 1997) के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।

66. समिति के व्यवहार के लिए निदेशक बोर्ड समिति की तथा अन्य आवश्यक मुहर रखेगी जो मुख्य कार्यपालक के जिम्मे रहेगी ।

हमारे आवेदन तारीख .... में जिन उप-विधियाँ का निर्देश है वे उप-विधियाँ उपर्युक्त हैं ।

क्रम संख्या........ | प्रवर्त्तक सदस्यों का हस्ताक्षर

01. श्री ... नाथ ...
2. प्रदीप कुमार मिश्र
3. गोविन्द झा
4. कुलानन्द ... झा
5. लक्ष्मीनारायण मिश्र
6. आनन्द मोहन दास
7. मनीन्द्र कुमार झा

जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा

8. दामोदर प्रसाद यादव — दामोदर प्रसाद

9- अशोक कुमार चौधरी

10- सुधीर चौधरी — Sudhir

11. शशी शेखर चौधरी —

12. वीरेन्द्र चौधरी —

13. मो० मुबीन ——

14. विनायक [illegible] — विजय

15 हरि नारायण झा

16 अरुण कुमार (मेहता)

17- धीरेन्द्र कुमार

18 मीना चौधरी

19. अरुण कुमार मिश्र —

20. मदन मोहन [illegible] -

21. रमण प्र० श्रीवास्तव —

22. सुरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती — Chakravarty

23. अरविन्द कुमार — A Kumar

24. प्रभात कुमार झा —

25. सतीश कुमार वर्मा —

26. सुधीर कुमार झा - Sudhir

कार्यालय, जिला सहकारिता पदाधि० रजि० (दरभंगा)